प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

धोखाधड़ी के अपराध में लिप्त 25,000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांकः-19.11.2022

पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा जनपद में वांछित/वारण्टियों की नियमानुसार गिरफ्तारी एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

दिनांक 19.11.22 को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एन.पी.सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मिश्रित श्री सुशील यादव के नेतृत्व में थाना नैमिषारण्य पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 33/21 धारा 406/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 में प्रकाश में आये अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र नरेन्द्र निवासी नावादा लोचन थाना बेनीगंज पोस्ट उमरारी जनपद हरदोई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त करीब 02 वर्ष से वांछित चल रहा था। जिसकी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा कस्बा नैमिषारण्य में "RAISE INDIA NIDHI LIMITED" के नाम से कम्पनी खोलकर कूटरचित दस्तावेजों से लोगों से ठगी कर पैसे अपने बताये गये खातों में डलवाकर धोखाधड़ी करता था। अभियुक्त के विरुद्ध जनपद हरदोई में भी धोखाधड़ी के अपराध में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

अभियुक्त का नाम व पता-संतोष कुमार पुत्र नरेन्द्र निवासी नावादा लोचन थाना बेनीगंज पोस्ट उमरारी जनपद हरदोई।

पंजीकृत अभियोग-मु0अ0स0 33/21 धारा 406/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना नैमिषारण्य सीतापुर।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 33/21 धारा 406/419/420/467/468/471 भादवि थाना नैमिषारण्य सीतापुर।

2.मु0अ0स0 94/21 धारा 419/420/467/468/469/471/389 भादवि थाना बेनीगंज जनपद हरदोई।

<u>पुलिस टीम थाना नैमिषारण्य-</u>

1.उ0नि0 श्री जयकृष्ण तिवारी
2.का0 हेमन्त कुमार
3.का0 हिमांशु त्यागी
4.का0 पवन कुमार